

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

संजीव मित्तल, भा0प्र0से0
संयुक्त सचिव—सह—बजट पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना
महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:— 05.03.2024

विषय:— बिहार विनियोग अधिनियम, 2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023—24 में उपबंधित राशि के व्यय के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए बिहार विनियोग विधेयक, 2024 पर माननीय राज्यपाल ने दिनांक: 05.03.2024 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि विभाग ने बिहार विनियोग अधिनियम 2024 (बिहार अधिनियम 01, 2024) को अधिसूचना संख्या—एल0जी0—01—12/2024/लेज:—1733 एवं 1734 (अंग्रेजी अनुवाद) दिनांक: 05.03.2024 द्वारा अधिसूचित किया है, जिसे बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या—208, दिनांक—05.03.2024 से प्रकाशित किया गया है।

2. बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या—208, दिनांक—05.03.2024 की 3 (तीन) प्रतियाँ, प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं 5 (पाँच) प्रतियाँ महालेखाकार, ले0 एवं हक0 को तथा सभी विभागों को एक—एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

3. उपर्युक्त के आलोक में 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सीधे अनुसूची के माध्यम से खण्ड—3 भाग—1 में पृष्ठ सं0—1 से 166 तक में प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय किया जा सकता है। राशि का व्यय बिहार गजट की अनुसूची में प्रदर्शित प्रत्येक मांग/विनियोग के लिए राजस्व एवं पूंजी के अधिकतम राशि तक ही किया जा सकता है। अगर कोई नये उपशीर्ष में राशि प्रावधानित की गयी हो तो उस उपशीर्ष से राशि का व्यय महालेखाकार से उक्त उपशीर्ष के खोलने संबंधी सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना है। राज्य योजना अन्तर्गत यदि उद्व्यय के प्रत्याशा में राशि प्रावधानित की गई हो तो, उसके लिए योजना एवं विकास विभाग से अतिरिक्त उद्व्यय/उद्व्यय का सामंजन प्राप्त कर राशि का व्यय किया जाना है।

4. वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण पुस्तिका की प्रति विभागों एवं प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) को पत्रांक: 176 दिनांक: 23.02.2024 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

5. तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी से संबंधित गजट को बिहार गजट के वेबसाइट <https://egazette.bih.nic.in/> पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(संजीव मित्तल)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी०एस०जी०-12/2024- 205/वि० पटना, दिनांक: 05.03.2024

प्रतिलिपि-माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली /मंत्री, क्ति विभाग के आप्त सचिव /लोकायुक्त के सचिव/सचिव, राजस्व पर्षद/महानिरीक्षक, कारा, गृह विभाग/राज्य सूचना आयोग के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के सचिव को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव मित्तल)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी०एस०जी०-12/2024- 205/वि० पटना, दिनांक: 05.03.2024

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार पदाधिकारी को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव मित्तल)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी०एस०जी०-12/2024- 205/वि० पटना, दिनांक: 05.03.2024

प्रतिलिपि- निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, श्रम निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक, पुरातत्व निदेशालय/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, गव्य निदेशालय/निदेशक, मत्स्य निदेशालय/निदेशक, पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/निदेशक, सामाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग/निदेशक,

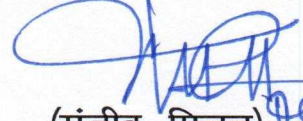
कृषि निदेशालय, कृषि विभाग/निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय/निदेशक, सर्वे निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक, अभिलेखाकार/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, देशी चिकित्सा/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें/निदेशक, सांस्थिक क्ति/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सचिव, वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मित्तल) 05/03/24

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-12/2024- 205/वि0 पटना, दिनांक: 05.03.2024

प्रतिलिपि- अभिलेखागार पदाधिकारी, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार विधान सभा पुस्तकालय/अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् पुस्तकालय को बिहार गजट की 5-5 प्रतियाँ अभिलेख संधारण हेतु प्रेषित।


(संजीव मित्तल) 05/03/24

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-12/2024- 205/वि0 पटना, दिनांक: 05.03.2024

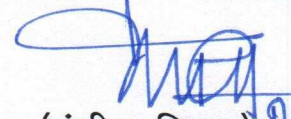
प्रतिलिपि- मुख्य लेखा नियंत्रक, क्ति (अंकेक्षण) विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/प्रभारी पदाधिकारी, लेखा प्रशासन/प्रशाखा-4, 5 एवं 10/ई-गवर्नेंस कोषांग/कोषागार शाखा/स्थापना प्रशाखा-1 एवं 2/लेखा शाखा/उप सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो/ निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग/प्रधान सचिव/सचिव (व्यय) एवं सचिव (संसाधन)/विशेष सचिव, क्ति विभाग के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, शाखा-10, 13 एवं 4 को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मित्तल) 05/03/24

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-12/2024- 205/वि0 पटना, दिनांक: 05.03.2024

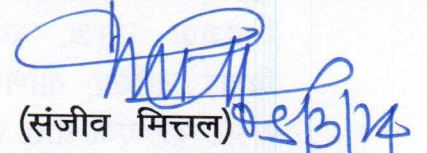
प्रतिलिपि- स्थानीय लेखा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द्र पटेल मार्ग, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मित्तल) 05/03/24

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-12/2024- 205/वि0 पटना, दिनांक: 05.03.2024

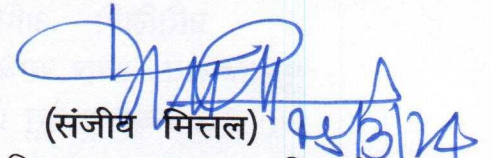
प्रतिलिपि- प्रणाली विश्लेषक/ आई0 टी0 मैनेजर ई-गवर्नेंस कोषांग को निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दें तथा सभी विभाग/जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल भी कर दें।


(संजीव मिश्र)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-12/2024- 205/वि0 पटना, दिनांक: 05.03.2024

प्रतिलिपि-बजट शाखा के सभी अवर सचिव/सहायक निदेशक/लेखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मिश्र)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 फाल्गुन 1945 (श10)
(सं0 पटना 208) पटना, मंगलवार, 5 मार्च 2024

विधि विभाग

अधिसूचना
5 मार्च 2024

सं० एल०जी०-01-12/2024-1733/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक 4 मार्च, 2024 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव (प्र०)।

बिहार विनियोग अधिनियम, 2024

[बिहार अधिनियम 01, 2024]

बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (3) यह 01 अप्रैल 2023 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. 2023-24 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 4133,60,76,000 (चार हजार एक सौ तैतीस करोड़ साठ लाख छिहत्तर हजार) रुपये की निकासी ।- बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रैल, 2023 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 4133,60,76,000 (चार हजार एक सौ तैतीस करोड़ साठ लाख छिहत्तर हजार) रुपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे ।

3. विनियोग-1- इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रैल, 2023 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी ।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	राजस्व	39,77,80,000	0	39,77,80,000
		पूंजी	0	0	0
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	51,15,43,000	0	51,15,43,000
		पूंजी	0	0	0
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	5,56,89,000	0	5,56,89,000
		पूंजी	2,59,98,26,000	0	2,59,98,26,000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	10,90,35,000	0	10,90,35,000
		पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
05	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
06	निर्वाचन विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
07	निगरानी विभाग	राजस्व	1,17,00,000	0	1,17,00,000
		पूंजी	0	0	0
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	45,00,000	0	45,00,000
		पूंजी	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
09	सहकारिता विभाग	राजस्व	18,09,45,000	0	18,09,45,000
		पूंजी	0	0	0
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	3,28,000	0	3,28,000
		पूंजी	3,72,72,00,000	0	3,72,72,00,000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
12	वित्त विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	4,60,00,00,000	0	4,60,00,00,000
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियाँ	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
15	पेंशन	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	5,96,98,000	0	5,96,98,000
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	24,15,000	0	24,15,000
		पूंजी	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	7,03,95,000	0	7,03,95,000
		पूंजी	0	0	0
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व	47,96,98,000	0	47,96,98,000
		पूंजी	0	0	0
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	50,00,01,000	0	50,00,01,000
		पूंजी	3,50,00,00,000	0	3,50,00,00,000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	87,97,00,000	0	87,97,00,000
		पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
22	गृह विभाग	राजस्व	25,00,04,000	0	25,00,04,000
		पूंजी	0	0	0
23	उद्योग विभाग	राजस्व	3,69,49,43,000	0	3,69,49,43,000
		पूंजी	2,15,74,07,000	0	2,15,74,07,000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000
		पूंजी	12,00,00,000	0	12,00,00,000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	5,84,11,000	0	5,84,11,000
		पूंजी	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
27	विधि विभाग	राजस्व	32,00,01,000	0	32,00,01,000
		पूंजी	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	62,79,61,000	0	62,79,61,000
		पूंजी	0	0	0
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
32	विधान मंडल	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	10,23,00,000	0	10,23,00,000
		पूंजी	0	0	0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	1,35,01,000	0	1,35,01,000
		पूंजी	0	0	0
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	2,76,66,00,000	0	2,76,66,00,000
		पूंजी	0	0	0
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	राजस्व	8,80,69,000	0	8,80,69,000
		पूंजी	0	0	0
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	3,00,00,000	0	3,00,00,000
		पूंजी	0	0	0
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	26,02,00,000	0	26,02,00,000
		पूंजी	0	0	0
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
		पूंजी	0	0	0
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	77,97,00,000	0	77,97,00,000
		पूंजी	0	0	0
43	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	राजस्व	3,11,65,000	0	3,11,65,000
		पूंजी	85,00,00,000	0	85,00,00,000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	23,48,77,000	0	23,48,77,000
		पूंजी	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	6,50,00,000	0	6,50,00,000
		पूंजी	0	0	0
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	16,00,000	0	16,00,000
		पूंजी	0	0	0
47	परिवहन विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	6,25,00,000	0	6,25,00,000
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	2,14,29,63,000	0	2,14,29,63,000
		पूंजी	3,64,00,00,000	0	3,64,00,00,000
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	0	0
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	1,70,00,000	0	1,70,00,000
		पूंजी	0	0	0
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	4,02,69,21,000	0	4,02,69,21,000
		पूंजी	7,55,00,000	0	7,55,00,000
52	खेल विभाग	राजस्व	18,90,00,000	0	18,90,00,000
		पूंजी	0	0	0
योग राजस्व			19,92,39,45,000	0	19,92,39,45,000
योग पूंजी			21,41,21,31,000	0	21,41,21,31,000
महायोग			41,33,60,76,000	0	41,33,60,76,000

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव (प्र०)।

5 मार्च 2024

सं० एल०जी०-01-12/2024-1734/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2024 को अनुमत **बिहार विनियोग अधिनियम, 2024** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव (प्र०)।

THE BIHAR APPROPRIATION ACT, 2024
[Bihar Act 01, 2024]

**AN
ACT**

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN AMOUNT FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE OF BIHAR FOR THE SERVICES DURING THE YEAR ENDING THE THIRTYFIRST DAY OF MARCH, 2024.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy-fifth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement .-

- (1) This Act may be called the Bihar Appropriation Act, 2024.
- (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
- (3) It shall come into force with effect from 1st April 2023.

2. Withdrawal of total Rs.- 4133,60,76,000 (Four thousand One hundred Thirty three crore Sixty lakh and Seventy six Thousand), out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the year 2023-24.— Total Rs.- 4133,60,76,000 (Four thousand One hundred Thirty three crore Sixty lakh and Seventy six Thousand), which will not be more than the amount mentioned in column-6 of the schedule of this Act from The Consolidated Fund of The State of Bihar to meet various expenses to be incurred related to the payment during the year commencing from 1st April, 2023 in relation to the services mentioned in column-2 of the Schedule of this Act.

3. Appropriation.— The amount authorized for withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar under this Act will be for the purposes and services mentioned in the Schedule concerned related to the year commencing from first day of April, 2023 and will be appropriated in respect of them.

Schedule

(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
01	Agriculture Department	Revenue	39,77,80,000	0	39,77,80,000
		Capital	0	0	0
02	Animal and Fisheries Resource Department	Revenue	51,15,43,000	0	51,15,43,000
		Capital	0	0	0
03	Building Construction Department	Revenue	5,56,89,000	0	5,56,89,000
		Capital	2,59,98,26,000	0	2,59,98,26,000
04	Cabinet Secretariat Department	Revenue	10,90,35,000	0	10,90,35,000
		Capital	1,00,00,000	0	1,00,00,000
05	Secretariat of the Governor	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
06	Election Department	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
07	Vigilance Department	Revenue	1,17,00,000	0	1,17,00,000
		Capital	0	0	0
08	Art, Culture and Youth Department	Revenue	45,00,000	0	45,00,000
		Capital	0	0	0

Schedule
(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriati on number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
09	Co-operative Department	Revenue	18,09,45,000	0	18,09,45,000
		Capital	0	0	0
10	Energy Department	Revenue	3,28,000	0	3,28,000
		Capital	3,72,72,00,000	0	3,72,72,00,000
11	BC and MBC Welfare Department	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
12	Finance Department	Revenue	0	0	0
		Capital	4,60,00,00,000	0	4,60,00,00,000
13	Interest Payment	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
14	Repayment of Loans	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
15	Pension	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
16	Panchayati Raj Department	Revenue	0	0	0
		Capital	5,96,98,000	0	5,96,98,000
17	Commercial Tax Department	Revenue	24,15,000	0	24,15,000
		Capital	0	0	0
18	Food and Consumer Protection Department	Revenue	7,03,95,000	0	7,03,95,000
		Capital	0	0	0
19	Environment , Forest and Climate Change Department	Revenue	47,96,98,000	0	47,96,98,000
		Capital	0	0	0
20	Health Department	Revenue	50,00,01,000	0	50,00,01,000
		Capital	3,50,00,00,000	0	3,50,00,00,000
21	Education Department	Revenue	87,97,00,000	0	87,97,00,000
		Capital	1,00,00,000	0	1,00,00,000
22	Home Department	Revenue	25,00,04,000	0	25,00,04,000
		Capital	0	0	0
23	Industries Department	Revenue	3,69,49,43,000	0	3,69,49,43,000
		Capital	2,15,74,07,000	0	2,15,74,07,000
24	Information and Public Relation Department	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
25	Information Technology Department	Revenue	2,00,00,000	0	2,00,00,000
		Capital	12,00,00,000	0	12,00,00,000
26	Labour Resource Department	Revenue	5,84,11,000	0	5,84,11,000
		Capital	0	0	0
27	Law Department	Revenue	32,00,01,000	0	32,00,01,000
		Capital	0	0	0
28	High Court of Bihar	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0

Schedule
(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
29	Mines and Geology Department	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
30	Minorities Welfare Department	Revenue	62,79,61,000	0	62,79,61,000
		Capital	0	0	0
31	Parliamentary Affairs Department	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
32	Legislature	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
33	General Administration Department	Revenue	10,23,00,000	0	10,23,00,000
		Capital	0	0	0
34	Bihar Public Service Commission	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
35	Planning and Development Department	Revenue	1,35,01,000	0	1,35,01,000
		Capital	0	0	0
36	Public Health Engineering Department	Revenue	2,76,66,00,000	0	2,76,66,00,000
		Capital	0	0	0
37	Rural Works Department	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
38	Prohibition, Excise and Registration Department	Revenue	8,80,69,000	0	8,80,69,000
		Capital	0	0	0
39	Disaster Management Department	Revenue	3,00,00,000	0	3,00,00,000
		Capital	0	0	0
40	Revenue and Land Reforms Department	Revenue	26,02,00,000	0	26,02,00,000
		Capital	0	0	0
41	Road Construction Department	Revenue	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
		Capital	0	0	0
42	Rural Development Department	Revenue	77,97,00,000	0	77,97,00,000
		Capital	0	0	0
43	Science, Technology and Technical Education Department	Revenue	3,11,65,000	0	3,11,65,000
		Capital	85,00,00,000	0	85,00,00,000
44	SC & ST Welfare Department	Revenue	23,48,77,000	0	23,48,77,000
		Capital	0	0	0
45	Sugar Cane Industries Department	Revenue	6,50,00,000	0	6,50,00,000
		Capital	0	0	0
46	Tourism Department	Revenue	16,00,000	0	16,00,000
		Capital	0	0	0

Schedule

(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriati on number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
47	Transport Department	Revenue	0	0	0
		Capital	6,25,00,000	0	6,25,00,000
48	Urban Development and Housing Department	Revenue	2,14,29,63,000	0	2,14,29,63,000
		Capital	3,64,00,00,000	0	3,64,00,00,000
49	Water Resources Department	Revenue	0	0	0
		Capital	0	0	0
50	Minor Water Resource Department	Revenue	1,70,00,000	0	1,70,00,000
		Capital	0	0	0
51	Social Welfare Department	Revenue	4,02,69,21,000	0	4,02,69,21,000
		Capital	7,55,00,000	0	7,55,00,000
52	Department of Sports	Revenue	18,90,00,000	0	18,90,00,000
		Capital	0	0	0
Total Revenue			19,92,39,45,000	0	19,92,39,45,000
Total Capital			21,41,21,31,000	0	21,41,21,31,000
Grand Total			41,33,60,76,000	0	41,33,60,76,000

Jyoti Swaroop Srivastava,
Secretary I/C.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 208-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

